प्रकरण संख्या 24/2024 श्रीमती मोहनी बनाम श्रीमती बदामी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालेसरिया, तहसील देवगढ़ में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती खाता संख्या 144/147 की आराजी नंबर 420, 425, 442, 461, 597, 728 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादीया का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार ग्राम खाखरडा, तहसील देवगढ़ में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती खाता संख्या 126/112 की आराजी नंबर 611, 614, 615, 616, 617 कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादीया का 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं इसी ग्राम में स्थित आराजी चाह नंबर 610 रकबा 3 बिस्वा में भी माफिक हिस्से अनुसार अंकन है। वादिया मूल पुरूष बख्तावर जी की पुत्री है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 वख्तावर जी के स्वर्गीयपुत्र चान्दमल की बेवा है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 18.06.2018 से वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.04.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 15.05.2024 को यह अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल ने उपस्थित होकर अपनी अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:13 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके साथ दस्तोवजात प्रस्तुत किये एवं उन्हें न्यायिक निर्णय के लिए आवश्यक दस्तावेज बताते हुए रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

हमने उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजियात में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए दावा प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट की तामिल कराये राजस्व कैम्प में रखकर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जिस पर अपीलान्ट द्वारा एक अपील राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के सक्षम प्रस्तुत की गयी, जिसके प्रकरण संख्या 30/2019 है। उक्त अपील माननीय आप न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपीलान्ट को बिना समुचित अवसर दिये एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि आप न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का न तो विवादित भूमि पर कब्जा है, फिर भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने प्रारम्भिक डिक्री जारी होते ही उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दी, जबकि उक्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि पर न तो रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा है न ही उन्हें विक्रय करने का कोई अधिकार था, उक्त विक्रय अपीलान्ट के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये तथा बिना कोई साक्ष्य लिये रेस्पोन्डेन्ट/वादीया की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर साक्ष्यों के अनुरूप निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 में आराजी चाह नंबर 610 रकबा 3 बिस्वा भूमि मु. वाली बेवा बख्तावर, मोहनी बेवा चान्दमल, मथुरालाल, मांगीलाल पिता चतरभुज ब्राहमण के सहखातेदारी में अंकित है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2040 से 2043 में विवादित आराजी नंबर 420, 425, 442, 461, 597, 728 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि मु. वाली बेवा बख्तावर व अपीलान्ट मोहनी बेवा चान्दमल के सहखातेदारी में अंकित है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 में विवादित आराजी नंबर 611, 614, 615, 616, 617 कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि मु. वाली बेवा बख्तावर व अपीलान्ट मोहनी बेवा चान्दमल के सहखातेदारी में अंकित है तथा मु. वाली की मृत्यु पश्चात विरासत से वाली के बजाय बदामी पुत्री बख्तावर व मोहनी पुत्र बधू वाली के नाम स्वीकृत हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात में अपीलान्ट मोहनी का 3/4 हिस्सा तथा वादिया/रेस्पोन्डेन्ट का 1/4 हिस्सा है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट/वादीया ने विवादित भूमि में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति में 1/2 हिस्से की प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त कर ली है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रकट होती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 21/2023 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.04.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगण रखते हुए पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.04.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:13 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:26:13 IST
Reason: SelfAttested